कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / माध्य / मा–स / 22428 / आखातीज / 2013–19 / 203 दिनांक: 22.04.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय :– "अक्षय तृतीया" आखातीज दिनांक 07 मई, 2019 एवं पीपल पूर्णिमा दिनांक : 18 मई, 2019 एवं अन्य अवसरों पर होने वाले बाल विवाह के आयोजन की प्रभावी रोकथाम हेतु अभियान चलाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, जयपुर का पत्रांक : प.21(3)प्राशि / आयो / 2019 दिनांक 15.04.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र एवं तत्सम्बन्धी अनुलग्नक अनुसार लेख है कि इस वर्ष "अक्षय तृतीया" आखातीज दिनांक 07 मई, 2019 एवं पीपल पूर्णिमा दिनांक : 18 मई, 2019 एवं अन्य अवसरों पर होने वाले बाल विवाह के आयोजन की प्रभावी रोकथाम के लिए विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा इस वर्ष अप्रेल से जून व नवम्बर एवं दिसम्बर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत निरोधात्मक एवं दण्डात्मक प्रावधानों की जानकारी आम जन तक पहुंचाने हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

इस सामाजिक पर्व में राज्य में अबूझ मूहर्त होने के कारण इस दिन बाल विवाहों के आयोजन की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इस सामाजिक बुराई को रोकने हेतु समुचित कदम उठाना आवश्यक है। इस समस्या के समाधान, इस पर अंकुश लगाने हेतु जनमानस में चेतना जागृत करने एवं जनसहभागिताएवं सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्यो, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालयों के विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं बाल विवाह की रोकथाम के सम्बन्ध में बाल विवाह निषेध अधिनियम–2006 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें एवं उक्त अधिनियम की जानकारी प्रार्थना / खेल सत्र के दौरान देवें कि विद्यार्थी स्वयं तो बाल विवाह न करने का निर्णय लेगें, परिवार व जनसमुदाय को भी बाल विवाह न करने हेतु जागरूक करेंगे। अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा को बाल विवाह की रोकथाम हेतु संक्षिप्त बिन्दु भी संलग्न है, जिनको व्यापक स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही में सम्मिलित करावें। साथ ही निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जावें :–

1. प्रवेश के समय विद्यार्थी / अभिभावक से यह शपथ पत्र लिया जावें कि वह पुत्र / पुत्री का विवाह निर्धारित उम्र से पूर्व नहीं करेंगे।
2. आखातीज तथा सावों के दौरान संस्था प्रधान बाल विवाह के सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखेगें तथा कोई भी प्रकरण ध्यान में आते ही प्रशासन को सूचित करेंगे।
3. विद्यालय की दिवारों पर इस बाबत चित्र व स्लोगन लिखवावें।
4. बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम, 1929 के अन्तर्गत बाल विवाह पर रोक हैं। इस वर्ष "अक्षय तृतीया" आखातीज दिनांक 07 मई, 2019 एवं पीपल पूर्णिमा दिनांक : 18 मई, 2019 को है जिसमें बाल–विवाह रोकने के लिये पबल जनसहयोग जुटाकर इस कुरीति पर अंकुश लगाया जाना हैं। विद्यालयों में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी प्रार्थना / बाल सभा / खेल सत्र के दौरान दी जावें।
5. बाल विवाह रोकथाम के लिये क्षेत्र में कार्य कर रहे जिला शिक्षा अधिकारी / ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / प्राचार्यो / प्रधानाध्यापकों / शिक्षकों / परियोजना अधिकारियों जिनकों ऐसे क्षेत्रों, जिनमें बाल विवाह प्रायः होते रहते हैं, की जानकारियां होती हैं, बाल विवाह को रोकने

www.rajteachers.com

हेतु समाज में जागरूकता फैलाने के लिये समय–समय पर अपने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान समाज के लोगों को बाल–विवाह के अवगुणों पर और इससे उत्पन्न सामाजिक दुष्परिणामों/विकारों की जानकारी देवें तथा बाल विवाह से उत्पन्न समस्त प्रकार के विकारों के बारे में भी लोगों को समझाऐं।

6. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के छात्र–छात्राओं को शादी की सही उम्र की जानकारी दी जावें एवं कम उम्र में शादी होने पर उनसे उत्पन्न खतरों की भी जानकारियां प्रार्थना/खेल सत्र के दौरान देवें, ताकि विद्यार्थी स्वयं तो बाल विवाह न करने का निर्णय लें ही, साथ ही परिवार एवं जन समुदाय को भी बाल विवाह न करने हेतु जागरूक कर सके।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही **आदर्श आचार संहिता** के तहत जिनको आपके स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही में सम्मिलित करें।

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उप सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, एकीकृत शिक्षा संकूल को प्रभावी प्रबोधन एवं पर्यवेक्षण हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर